रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2000/फाल्गुन 5, 1921
No. 30] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2000/PHALGUNA 5, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2000

फा. सं. 31/11/99-बि.क.—4 जुलाई, 1997 को हुए वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में एक संकल्प लिया गया था जिसमें सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मूल्य वर्धित कर (वी.ए.टी.) लागू किए जाने के संबंध में हुई प्रगति के मूल्यांकन एवं समय-सीमा निर्धारित किए जाने के लिए राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के एक कार्यदल गठित किए जाने की सिफारिश की गई थी। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने तदनुसार, दिनांक 19 सितम्बर, 1997 के संकल्प फा. सं. 22/5/97-बि.क. के जरिए इस काम को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिनांक 4 जुलाई, 1994 के संकल्प फा. सं. 31/56/93-बि.क. के जरिए गठित राज्य वित्त मंत्रियों की समिति को सौंप दिया था। राज्य वित्त मंत्रियों की उक्त समिति ने अन्य बातों के साथ साथ यह कहा कि मूल्यवर्धित कर को लागू किए जाने के लिए राज्यों के बीच उचित समन्वय की आवश्यकता होती है तथा समिति ने सिफारिश की कि बिक्री कर आयुक्तों का एक स्थायी परिषद् (एस.सी.सी.) गठित किया जाना चाहिए।

2. समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में, सरकार ने बिक्री कर आयुक्तों का एक स्थायी परिषद् (एस.सी.सी.) गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के बिक्री कर आयुक्त इसके सदस्य होंगे और संघ वित्त/राजस्व सचिव अथवा इनकी अनुपस्थिति में अपर सचिव (राजस्व) इसके अध्यक्ष होंगे।

3. आयुक्तों के स्थायी परिषद् के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) राज्यों में मूल्य वर्धित कर के प्रबन्धन के लिए आंकड़े एवं अधिसूचनाएं एकत्र करने के लिए तंत्र उपलब्ध कराना; और

(ख) राज्यों के बीच परामर्श कायम करने वाला अधिकार रखना।

4. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के प्रो. महेश सी. पुरोहित बिक्री कर आयुक्तों के स्थायी परिषद् के सदस्य सचिव एवं संचालक होंगे।

5. आयुक्तों का स्थायी परिषद् अपने कार्य के लिए स्वयं की कार्य-पद्धति तैयार करेगा एवं जरूरत होने पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना मांग सकता है।

6. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान परिषद् को सचिवालीय सहायता प्रदान करेगा।

डा. जी. सी. श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 24th February, 2000

F. No. 31/11/99-ST.—Finance Ministers' Conference held on 4th July, 1997 had adopted a Resolution recommending constitution of a Working Group of Finance Ministers of States and Union Territories to evaluate the progress made towards and chart a time path for introduction of Value Added Tax (VAT) in all the States and UTs. Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue vide Resolution F.No. 22/5/97-ST dated 19th September, 1997 had accordingly entrusted this job to the Committee of State Finance Ministers constituted vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue Resolution F.No. 31/56/93-ST dated the 4th July, 1994. The said Committee of State Finance Ministers inter alia stated that implementation of VAT requires considerable co-ordination amongst States and recommended that a Standing Council of Commissioners (SCC) of Sales Tax should be constituted.

2. In pursuance of the recommendations of the Committee, the Government had decided to set up a Standing Council of Commissioners (SCC) of Sales Tax comprising Sales Tax Commissioners of all the States and Union Territories as its members and headed by the Union Finance/Revenue Secretary or Additional Secretary (Revenue) in his absence.

3. The terms of reference of the Standing Council of Commissioners will be:—

(a) to provide a mechanism for collection of data and notifications for the management of VAT in the States; and

(b) have the mandate to hold consultations amongst the States.

4. Prof. Mahesh C. Purohit of NIPF&P, New Delhi will be Member Secretary and convenor of the Standing Council of Commissioners of Sales Tax.

5. The Standing Council of Commissioners will evolve its own procedures for its work and may call for information as may be necessary from State Governments/Union Territories.

6. The National Institute of Public Finance & Policy will provide Secretarial assistance to the Council.

Dr. G. C. SRIVASTAVA, Addl. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2000

फा. सं. 31/11/99-बि.क.—4 जुलाई, 1997 को हुए वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में एक संकल्प लेते हुए, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक कार्यदल का गठन करने की सिफारिश की गयी थी ताकि इस दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके तथा सभी राज्यों एवं संघ शासित राज्यों में मूल्य वर्धित कर (मू. व. क.) को लागू करने हेतू एक समय-सीमा निर्धारित की जा सके। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने तदनुसार, 19 सितम्बर, 1997 के संकल्प फा. सं. 22/5/97-बि. क. के तहत यह कार्य राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति के सुपुर्द कर दिया था जिसका गठन भारत सरकार के, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिनांक 4 जुलाई, 1994 के संकल्प फा. सं. 31/56/93-बि. क. के तहत किया गया था। राज्यों के वित्त मंत्रियों की उक्त समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की थी कि राज्यों द्वारा मूल्य वर्धित कर को कार्यान्वित किए जाने सम्बन्धी कार्य पर एक उपयुक्त तन्त्र द्वारा निगरानी रखी जाए। इस प्रयोजनार्थ, राज्यों की मूल्य वर्धित कर परिषद् नामक एक शीर्षस्थ संस्था का गठन किया जाना चाहिए।

2. समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने राज्यों की एक मूल्य वर्धित कर परिषद् (वी सी एस) का गठन करने का निर्णय लिया है जिसके सदस्य सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों के वित्त मंत्री होंगे तथा इसके अध्यक्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री होंगे तथा यह परिषद् राज्यों द्वारा मूल्य वर्धित कर को लागू करने पर निगरानी रखेगी। एन आई पी एफ एंड पी के प्रो. महेश सी. पुरोहित राज्यों की मूल्य वर्धित कर परिषद् के सदस्य सचिव होंगे।

3. राज्यों की मूल्य वर्धित कर परिषद् अपने कार्य हेतु स्वयं प्रक्रियाएं तैयार करेगी तथा यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से वह सूचना भेजने को कह सकेगी जो आवश्यक हो।

4. सार्वजनिक वित्त एवं नीति सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्थान इस परिषद् को सचिवालीय सहायता उपलब्ध करायेगा।

डा. जी. सी. श्रीवास्तव, अपर सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 24th February, 2000

F. No. 31/11/99-ST.—Finance Ministers' Conference held on 4th July, 1997 had adopted a Resolution recommending Constitution of a Working Group of Finance Ministers of States and Union Territories to evaluate the progress made towards and chart a time-path for introduction of Value Added Tax (VAT) in all the States and Union Territories. Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue vide Resolution F. No. 22/5/97-ST dated 19th September, 1997 had accordingly entrusted this job to the Committee of State Finance Ministers constituted vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue's Resolution F. No. 31/56/93-ST dated the 4th July, 1994. The said Committee of State Finance Ministers inter alia recommended that a suitable machinery should oversee implementation of VAT by the States. For that purpose an apex body called VAT Council of States (VCS) should be constituted.

2 In pursuance of the recommendations of the Committee, the Government has decided to set up a VAT Council of States (VCS) comprising Finance Ministers of all the States/UTs as its members and headed by the Union Finance Minister to oversee implementation of VAT by the States. Prof Mahesh C Purohit of NIPF & P will be Member Secretary of the VAT Council of States.

3. The VAT Council of States will evolve its own procedures for its work and may call for information as may be necessary from State Governments/Union Territories.

4 The National Institute of Public Finance & Policy will provide Secretarial assistance to the Council.

Dr. G. C. SRIVASTAVA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054